पत्र सूचना शाखा,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
(निर्वाचन मीडिया सेल)

राजनैतिक दल अपने बूथ लेविल एजेण्ट नियुक्त कर अधिक से अधिक मतदाता बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें : उमेश सिन्हा

प्रत्येक गांव स्तर पर कैमरों की व्यवस्था कर मतदाताओं की फोटो खींचने हेतु कैंप लगाये जायेंगे और सभी अर्ह मतदाताओं के फोटो खींच कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जायेगा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

आयोग की ओर से पहली बार सभी मतदाताओं की फोटो युक्त मतदाता पर्ची बूथ लेविल अधिकारियों के माध्यम से मतदान के पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें मतदाता के विवरण के साथ–साथ उसके पोलिंग स्टेशन का भी उल्लेख होगा : उमेश सिन्हा

अशिक्षित अर्ह मतदाताओं हेतु माता–पिता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र आयु के लिए मान्य होगा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ दिनांक : 19 सितम्बर 2011

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बूथ लेविल एजेण्ट नियुक्त कर अधिक से अधिक मतदाता बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें । विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आगामी 29 सितम्बर से बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा पुनः घर–घर जाकर विस्तृत सर्वेक्षण कार्य कर अर्ह मतदाताओं को मतदाता बनाया जाये। किसी भी अर्ह व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में फोटो न होने के आधार पर नहीं काटा जायेगा, बल्कि प्रत्येक गांव स्तर पर कैमरों की व्यवस्था कर मतदाताओं की फोटो खींचने हेतु कैंप लगाये जायेंगे और सभी अर्ह मतदाताओं के फोटो खींच कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाये। निरन्तर पुनरीक्षण के दौरान शैक्षिक संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता का कार्य व्यापक रूप से कराया जायेगा। आगामी विधान सभा निर्वाचन में प्रदेश में पहली बार आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची बूथ लेविल अधिकारियों के माध्यम से मतदान के पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें मतदाता के विवरण के साथ–साथ उसके पोलिंग स्टेशनों का भी उल्लेख होगा। अशिक्षित अर्ह मतदाताओं हेतु माता–पिता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र आयु के लिए मान्य होगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विधान सभा मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सन्दर्भ में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर रहे थे । उन्होंने कहा कि आगामी 29 सितम्बर से 29 अक्टूबर तक मतदाता सूची का आलेख प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जन सामान्य के देखने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और इस अवधि में दावें और आपत्तियाँ, हेतु निर्धारित फार्म 6, 7, 8 व 8ए में प्राप्त कर वहीं पर जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ और साफ सुथरी मतदाता सूची बनायी जायेगी। जिसमें न तो कोई पात्र छूटने पायेगा और न ही किसी अपात्र का शामिल होने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का आलेख तथा अंन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की प्रतियां निशुल्क सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की दी जायेगी। उन्होंने कहा कि एक पीडीएफ सीडी भी निशुल्क सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के सापेक्ष मतदाताओं की संख्या का आंकलन बूथ स्तर पर किया जायेगा और उसका परीक्षण कर नये मतदाताओं में जो महिलायें शामिल नहीं हो पायी हैं उन्हें मतदाता बनाया जाये। उन्होंने कहा कि इस पुनरीक्षण कार्य में शैक्षिक संस्थाओं में स्वंय सेवक छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों और एनसीसी कैडेटों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जायेगा।

श्री सिन्हा ने बताया कि इस पुनरीक्षण के दौरान 7 से 10 अक्टूबर के मध्य सभी ग्राम सभाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों तथा रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियेशन की बैठकों में मतदाता सूची के आलेख को पढ़कर सुनया जायेगा और नामों का सत्यापन कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में बैठकों के लिए तय की तिथियों का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। उन्होनें कहा कि प्रत्येक गांव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक तिथि विशेष निर्धारित कर उसी तिथि को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करेंगे। उन्होंने बताया कि 9, 16 एवं 23 अक्टूबर को पड़ने वाले रविवार के दिन पंजीकरण हेतु विशेष अभियान आयोजित किये जायेगें, जिसमें पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की सहायता के लिए राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेविल एजेन्ट, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जैसे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा बहू, एएनएम, किसान

सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल आदि उपलब्ध रहेगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक 10 पोलिंग स्टेशनों पर एक सेक्टर आफिसर की व्यवस्था भी की जायेगी। जो चुनाव के बाद पुनरीक्षण के दौरान पूरे कार्य पर प्रभावी नजर रखेंगे।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मृत्युन्जय नारायण सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री सुबोध श्रीवास्तव एवं श्री रामकिशन, भारतीय जनता पार्टी के श्री श्याम नन्दन सिंह एवं श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, बहुजन समाज वादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्या एवं मंत्री लोक निर्माण श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी , समाजवादी पार्टी के श्री राजेन्द्र चौधरी एवं श्री वकार अहमद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स0) के श्री प्रेम नाथ राय एवं श्री बी0एल0 भारती , नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के श्री श्रवण कुमार अवस्थी एवं श्री किरन बाजपेई तथा राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबा हरदेव सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

....

सम्पर्क सूत्र : सूचना अधिकारी दिवाकर खरे – 9452854569